भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6036

बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को त्वरित करने के लिए निधि

6036. एडवोकेट चन्द्र शेखरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयात लागत में वृद्धि की भरपाई करने और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को त्वरित करने के लिए निधिकरण पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित 6 अरब की राशि में से ग्रीन हाइड्रोजन का घरेलू उत्पादन बढ़ाए जाने जैसी आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए कितना हिस्सा नियत किया गया है; और

(ग) जब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (आईईए) और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (आईआरईएनए) की 2026 की रिपोर्ट भू-राजनीतिक जोखिमों का सामना करने और वहनीयता/स्थिरता प्राप्त करने के लिए 8 प्रतिशत से अधिक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि पर बल देती है, तो अतिरिक्त मांगों का प्रस्ताव नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से 500 GW की स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हिस्सा पहले ही प्राप्त कर लिया है; यह उपलब्धि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को सौंपे गए अपने अद्यतन 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDC) के तहत निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त कर ली गई है।

ऊर्जा सुरक्षा हेतु नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान करने के लिए, सरकार ने अनेक कदम एवं पहलें की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ **अनुलग्नक** में दिए गए उपाय भी शामिल हैं।

आयात को कम करने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाएँ लागू कर रही है, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसे एमएनआरई द्वारा 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) को MNRE द्वारा वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। इस मिशन के प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इसके व्युत्पन्नों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

(iii) MNRE द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 'अपशिष्ट से ऊर्जा' (Waste to Energy) परियोजनाओं, बायोमास परियोजनाओं (ब्रिकेट और पेलेट्स का निर्माण, उद्योगों में बायोमास (गैर-बैगास) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देना) तथा छोटे और मध्यम बायोगैस संयंत्रों के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा कार्यान्वित की जा रही किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक समाधान ['सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन' (SATAT)] योजना, जिसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों की स्थापना में सहायता प्रदान करना है।

(ग) केंद्रीय बजट के अंतर्गत, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आवंटन किया जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पिछले पांच वर्षों में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**बजट आवंटन (बीई)(रु. करोड़ में)**
2022-23	6900.68
2023-24	10222.00
2024-25	21230.00
2025-26	26549.38
2026-27	32914.67

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालय/विभाग भी नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सहायता करने के लिए अपनी-अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियां आवंटित कर रहे हैं।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को त्वरित करने के लिए निधि' के संबंध में पूछे गए दिनांक 01.04.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6036 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेज़ी लाने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषणयोग्य नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में कुछ निर्धारित समय-सीमाओं और शर्तों के अधीन, छूट दी गई।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और भंडारण बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए.
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- दिनांक 12 जून 2025 को प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडलों की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- दिनांक 31 जुलाई, 2025 को पवन टरबाइन मॉडल और विंड टर्बाइन के विनिर्माताओं (आरएलएमएम) की संशोधित सूची में पवन टरबाइन मॉडलों को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी की गई। यह संशोधन आरएलएमएम का नाम बदलकर मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची [एएलएमएम (पवन)] के रूप में परिवर्तित करता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों के अनिवार्य स्थानांतरण तथा भारत के बाहर रियल टाइम डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) जैसे सूचीबद्ध उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करता है।
- दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को एएलएमएम-पवन और एएलएमएम - पवन टरबाइन उपकरणों (एएलएमएम - डब्ल्यूटीसी) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, उपकरण मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्धता के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

****